संख्या-25/2024/।-782941/2024/एस-410/38-2-2024-001-38-2099-99-132-2024

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषय-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब,लखनऊ तथा नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजी लेखा पक्ष में अनुदान संख्या-013 के अन्तर्गत मानक मद 14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-410/स0-9/वाहन निष्प्रयोज्य/2003-04-।।(टी0सी0), दिनांक 18 सितम्बर, 2024 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-013 के लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-05-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)-14-मोटर गाडियों के क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 28.00 लाख के सापेक्ष प्रतिस्थापन के आधार पर क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान- झांसी, जिला ग्राम्य विकास संस्थान-रामपुर एवं जिला ग्राम्य विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संस्थान-अलीगढ़ के उपयोगार्थ प्रति वाहन मूल्य रू0 8,75,203.00 (रूपये आठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ तीन मात्र) है, की दर से 03 शासकीय वाहनों को क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 26,25,609.00 (रूपये छब्बीस लाख पचीस हजार छः सौ नौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त वाहन क्रय हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के वाहन क्रय संबंधी शासनादेशों तथा परिवाहन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 (जेम) पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत निष्प्रोज्य वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष में निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(4) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा, किसी भी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नही होगा।

(5) प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ का होगा।

(7) उक्त वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही पुनरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितांत आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही प्रतिस्थापन आधार पर वाहन का क्रय किया जायेगा।

(9) इस संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,25,609.00 (रुपये छब्बीस लाख पच्चीस हजार छह सौ नौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 4515001030500 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-100/दस-2024-25 दिनांक 09-10-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2024/I-782941/2024/एस-410/38-2-2024-001-38-2099-99-132-2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमाकान्त सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।